19/2015/450

संख्या- /59-2-2015-22(खा)/2011

प्रेषक,

निर्मला श्रीवास्तव,

उप सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग,

उ0प्र0 लखनऊ।

खादी तथा ग्रामोद्योग अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर छूट योजना हेतु आयोजनागत मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध् में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-279/खा0ग्रो0बो0/खादी/2015-16 दिनांक 28 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश में कार्यरत खादी आयोग/बोर्ड में पंजीकृत संस्थाओं द्वारा खादी वस्त्रों की बिक्री पर दी गयी छूट के दावों के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड मात्र) के सापेक्ष रू0 1000.00 लाख (रूपये दस करोड मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के साथ आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है।

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि एक मुश्त न आहरित कर तत्कालिक आवश्यकतानुसार ही आहरण की जायेगी और व्यय करते समय भुगतान करने वाले अधिकारी वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में दी गयी शर्तों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि हेतु प्रतिमाह भुगतान किये जाने वाली धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रपत्र बी0एम0-13 में वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2 को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को वित्तीय वर्ष में ही उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, संस्थाओं की सूची सहित, प्राप्त होने के पश्चात ही योजना की दूसरी किश्त शासन द्वारा जारी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-5 के लेखा शीर्ष 2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-आयोजनागत-105-खादी ग्रामोद्योग-04-गांधी जयन्ती के अवसर पर खादी की बिक्री पर छूट-27-सब्सिडी के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में निहित व्यवस्था के अनुसार निर्गत किया जा रहा है।

भवदीया,

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या-19|2015/450(1)/59-2-2015-22(खा)/2011 तददिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, 125, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4/औद्योगिक विकास अनुभाग-2

7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

8- उप निदेशक, एन0आई0सी0 (प्रशासनिक भवन) ई-फलोर छठा तल योजना भवन, लखनऊ।

9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

N.Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।